॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 76450 (23)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420711

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007
सहायक वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

1. भूमि का प्रकार — कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम....मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.962 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :— कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग/कुंआ/अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 3000000/—रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 3000000/—रूपये
9. स्टाम्प देय 300000/—रूपये. जिसमें से 40000/—रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक—12.6.2006 प्रलेख संख्या—6685 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 260100/—रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1000000/रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 52 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा —प्रथम

स्टाम्प अधिनियम की धारा 16- के अन्तर्गत इकरारनामा सं० ..... वर्ष 2006 में किया गया स्टाम्प रु० ..... के साथ समायोजित किया जाता है।

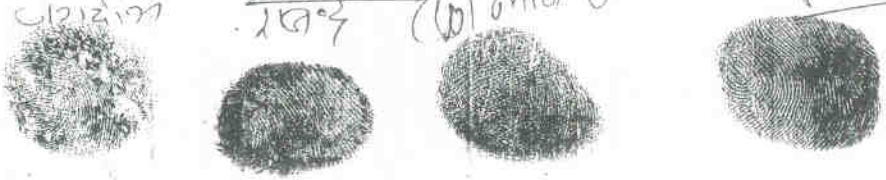

17 22/6/W 25mg

श्रम० ले०पी० ग्लोबल ड्रग मोहनीदा श्री० राम कृपाल s/o उमाशंकर कुशवाहा
।।। श्री जमुनाहाड मोतीनी मधुबनी —

22/6/W

डॉ० बरेश कुमार झा
सहा० सिविल सर्जन
कोसीनगर, मधेपुरा

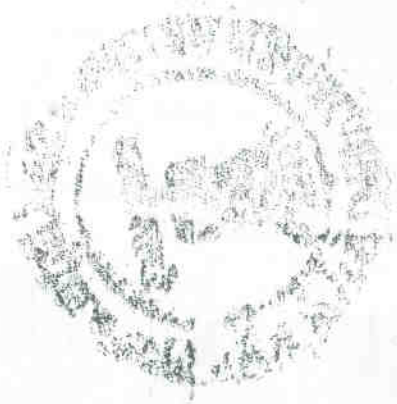

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420712

सब रजिस्ट्रार
मथुरा
22 JUN 2007
सब रजिस्ट्रार एवं कोषाधिकारी
मथुरा

(2)

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

जगदीश व राजेन्द्र पुत्रगण स्व0 श्री मुनैया व श्रीमती लोंगश्री पत्नी स्व0 श्री मुनैया निवासीगण ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष (जो असैसी नहीं है) व एस0जे0पी0 रीयल स्टेट एण्ड डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा "पेन नंबर–ए सी डब्लू टी ए 9032 ए"

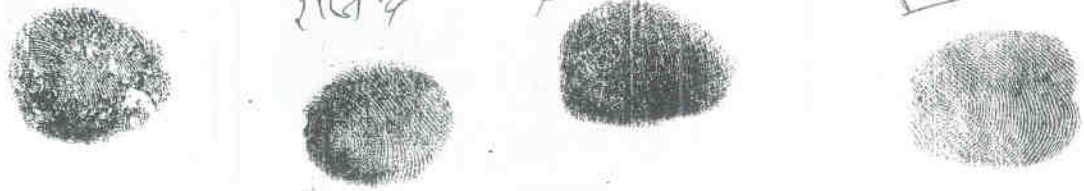

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420713

22 JUN 2007

(3)

हमकि जगदीश व राजेन्द्र पुत्रगण स्व0 श्री मुनैया व श्रीमती लोंगश्री पत्नी स्व0 श्री मुनैया निवासीगण ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व एस0जे0पी0 रीयल स्टेट एण्ड डवलपर्स द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420714

22 JUN 2007

(4)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–149 व खसरा नंबर–33 रकवा 0.962 हैक्टेयर लगानी 18.70 रूपया सालाना बाकै मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420715

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007
हस्ताक्षर-वरि कोषाधिकारी
मथुरा

(5)

वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाध ा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 1000000/-रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 3000000/-रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

420716

(6)

प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक–12.6.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3719 के सफा 365/380 नंबर–6685 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा वै में 40000/–रूपये का स्टाम्प अंदा किया गया था जिसमें से 100/–रूपये का स्टाम्प कमकर 39900/–रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420717

22 JUN 2007

जा रहा है व शेष 260100/–रूपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै द्वितीयपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 3000000/–तीस लाख रूपया जिसके आधे 1500000/–पन्द्रह लाख रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 1200000/–रूपया खरीदार से एच0डी0एफ0सी0 बैंक मथुरा शाखा के तीन किता पेय आर्डर प्रथम नंबर–4151 तादादी 400000/–रूपये व

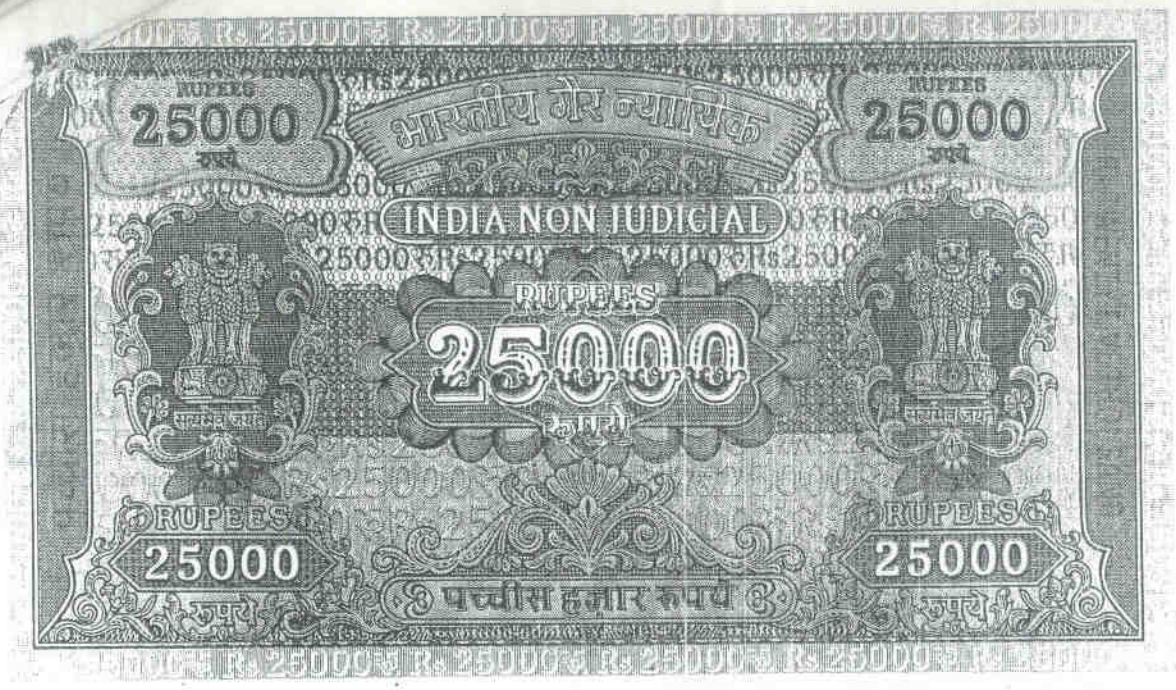

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420718

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007
हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी
मथुरा

(8)

द्वितीय नंबर–4152 तादादी 400000/–रूपये तृतीय नंबर–4153 तादादी 400000/–रूपये तीनों दिनांक–12.6.2007 द्वारा पाये व 1800000/–भिन्न भिन्न तारीखों में पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई

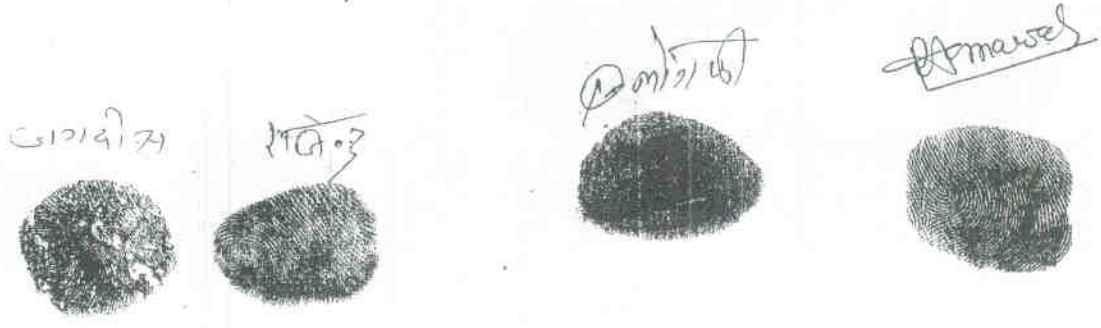

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420719

(9)

उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी

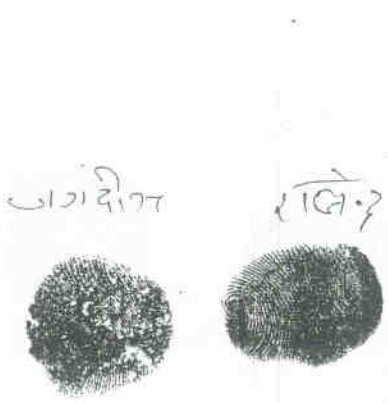

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 420720

22 JUN 2007

(10)

चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

03AA 899689

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
22 JUN 2007
हस्ताक्षर-वरि कोषाधिकारी
मथुरा

उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। अब विकेता प्रथमपक्ष का उक्त खसरा नंबरान में कोई भी अंश भूमि शेष नहीं है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 068802

12

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–22.6.2007

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

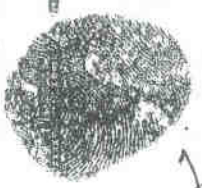

क्रमांक 28 दिनांक 22/6/07 मूल्य 1.00

नाम श्री ..... पुत्र .....

पता ..... फलाना (1)

नोट 29/6/07

डॉ० नरेश कुमार जाकड़
सहा० लेखाधिरा
कोषागार, मथुरा

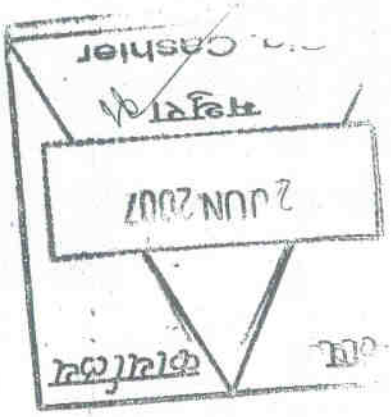

आज दिनांक **22/06/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **4403**

पृष्ठ सं. **287** से **312** पर कमांक **7645**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
22/6/2007